रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225848
CG-DL-E-12032021-225848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 1078] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च , 2021

विषय : दिनांक 1 अक्तूबर 2020 को का० आ० संख्या 3429 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची में शामिल उत्पाद श्रेणियों के प्रभाव में आने की समयसीमा का विस्तार।

का. आ. 1166(अ).—जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (63 का 1986) के खंड 10 (1) (पी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो, 1987 के नियम 13 के खंड (एफए) के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 01 अक्तूबर 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का. आ. संख्या 3429(अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" की अनुसूची में सात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद श्रेणियों को शामिल किया था । इस आदेश के प्रभाव में आने की तारीख 01 अप्रैल, 2021थी। और, जबकि, इस आदेश के निर्बाध सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की गई है और उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए और समय मांगा है, अतः एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के प्रभाव में आने की तिथि 01 अक्तूबर 2021 तक बढ़ा दी गई है।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/40/2020-आइ. पी. एच. डब्ल्यू.-ई. एवं सू.प्रौ. मं.,]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक जी.

टिप्पणी : प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 केका. आ. संख्या 2357 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 को का. आ. संख्या 2034(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013,का. आ. संख्या 3022 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, के का. आ. संख्या 2905(अ), दिनांक ३ फ़रवरी के का. आ. संख्या 345(अ), दिनांक 10 फ़रवरी , 2016 के का. आ. संख्या 638(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. संख्या 3509 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2017 केका. आ. संख्या 2403(अ) , दिनांक 5 मार्च, 2018 के का. आ. संख्या 1321(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2020 के आ. संख्या 1236 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के 2020 केआ. संख्या 3170(अ) तथा दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 के आ. संख्या 3429(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the12th March, 2021

Subject: Extension in timelines for the implementation of the Order for product categories included in the schedule of CRO vide S.O. 3429(E) published in Gazette of India on 01st October, 2020

S.O. 1166(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by clause 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the Rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, had included seven electronics and information technology product categories to the Schedule of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" vide S.O. 3429(E) published in Gazette of India on 01st October, 2020. The date of coming into effect of this Order was 01st April, 2021. And, whereas, the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the Order and whereas, the industry has sought more time for compliance of the Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 01st October, 2021.

[F.No. W-47/40/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345(E) dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016, S.O. 2742(E) dated 23 August, 2017, S.O. 1236(E) dated 1st April, 2020,S.O. 3170(E) dated 16th September, 2020, S.O. 3429(E) dated 1st October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.12 20:03:57 +05'30'